सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू
(पीठासीन अधिकारी – राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

वाद संख्या:—303/2025 (GCMS No. 2025/541)

दायरा दिनांक:— 18.07.2025

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम जाति कुम्हार निवासी नेठवा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र केशरचन्द सरावगी जाति अग्रवाल निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:— श्री मुकेश शर्मा व श्री नरेन्द्र बागोरिया अधिवक्ता।

प्रतिवादीगण:— श्री अनिल स्वामी, श्री धर्मपाल स्वामी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251क
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णय:—

निर्णय दिनांक:—03.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का खेत ख. नं. 1934/1214 तादादी 1.5174 हैक्टेयर रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है। उक्त कृषिभूमि पर प्रार्थी काबिज काश्तकार होकर अपने उपयोग उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त कृषिभूमि में जाने के लिये वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नही है जिस कारण प्रार्थी को अपनी उक्त कृषिभूमि को काश्त करने व भारी कृषि यंत्र ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है प्रार्थी कस्बा तारानगर से साहवा को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग ख. नं. 1189 से फंटकर अप्रार्थी के खेत ख. नं. 1830/1214 से सींव सींव होकर अपने खेत ख. नं. 1934/1214 में आवागमन हेतु अनेक्चर 'क में मार्क ए से बी बरंग लाल से दर्शाये अनुसार 30 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी दर्ज करवाने का अधिकारी है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ते के रूप में कायम किया जाता है तो प्रार्थी डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि अप्रार्थीगण को देने के लिये तैयार है जिससे अप्रार्थी को कोई असुविधा नहीं होगी। उक्त विवादीत रास्ता सम्बंधित कृषिभूमि की मालिक राजस्थान सरकार है इसलिये बतौर प्रतिनिधी तहसीलदार तारानगर को अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

संख्या 2 बनाया गया है। अनेक्चर 'क' में मार्क ए से बी बरंग लाल से दर्शाए अनुसार उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कटानी के रूप में अंकन करवाने के लिये प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा व अन्य लोगों से भी कहलवाया तो दिनांक 18.07.2025 को अप्रार्थी बमुकाम तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू में स्पष्ट इंकार हो गया इसलिये यही तारीख वाद कारण है एवं वादाधार प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण हासिल है। न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। अंत में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपने खेत ख.नं. 1934/1214 तादादी 1.5174 हैक्टेयर रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू में जाने के लिये ख. नं. 1189 से फंटकर आप्रार्थी के खेत ख नं. 1830/1214 के मध्य सींव सींव होकर अपने खेत ख. नं. 1934/1214 में आवागमन के लिये 30 फुट चौड़ा रास्ता जो नजरी नक्शा में मार्क ए से बी बरंग लाल से दर्शाया गया है को कटानी रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार तारानगर को फरमाये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार स्वामी, एवं श्री धर्मपाल स्वामी ने वकालतनामा पेश किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार तारानगर से अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार तारानगर द्वारा क्रमांक राजस्व/2025/1715 दिनांक 25.11.2025 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है कि भू–अभिलेख निरीक्षक, धीरवास मय पटवारी मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। मुताबिक रिपोर्ट के प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता खेत खसरा नम्बर 1830/1214 में पूर्व–पश्चिम व दक्षिण दिशा में चार दीवारी कर रखी है व प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1934/1214 में फसल खरीफ की काश्त की हुई है। बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:–

   1. आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाया गया है।
   2. प्रार्थी की कृषि भूमि में चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं लगता है।
   3. प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता मौके पर नहीं बनता है।
   4. प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जो मौके पर चालू हो।
   5. रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लाल रंग से दर्शाया गया है।

4. दिनांक 29.08.2025 को अप्रार्थी सं. 1 स्वयं उपस्थित हुआ एवं उनकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित आये और जवाब प्रार्थना पत्र हेतु समय चाहा गया। जवाब प्रार्थना पत्र हेतु

बार–बार समय दिया गया किंतु इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर उनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 02.12.2025 को तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील अप्रार्थी सं. 1 के अनुपस्थित रहने पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/03/पार्ट/4 दिनांक 24.12.2014 व परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज–6/2003/104 दिनांक 19.09.2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 90 दिवस की अवधि में प्रकरण का निस्तारण किया जाना है। प्रकरण दर्ज हुए 90 दिवस से अधिक समय हो गया है। ऐसे में प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की जिरह सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने–ए–जिरह प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं होने तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा कोई जिरह नही की गई।

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका–रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है–

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
>
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
>
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track*

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

Jayendra

is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is grantedor in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

7. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार तारानगर द्वारा क्रमांक राजस्व/2025/1715 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम साहवा तहसील तारानगर के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

8. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक

है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न स्थिति सामने आती है कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान/मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की पुष्टि होती है।

9. प्रकरण में यथासंभव समस्त तथ्यों का विश्लेषण के पश्चात् तहसीलदार तारानगर द्वारा क्रमांक राजस्व/2025/1715 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित रास्ता व प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता ही लघुत्तम/नजदीकी मार्ग का व्यावहारिक विकल्प है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम/नजदीकी मार्ग का विकल्प तहसीलदार तारानगर द्वारा क्रमांक राजस्व/2025/1715 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित लाल रंग से अंकित का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित है।

10. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार तारानगर द्वारा क्रमांक राजस्व/2025/1715 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। तहसीलदार तारानगर द्वारा क्रमांक राजस्व/2025/1715 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 1934/1214 मौजा साहवा तहसील तारानगर तक अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1830/1214 मौजा साहवा तहसील तारानगर के पश्चिम सींव में नवीन रास्ता हेतु प्रस्तावित लाल रंग से अंकित लघुत्तम/नजदीकी मार्ग पर बतौर 30 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जाना उचित होगा। प्रार्थी की भूमि में से रास्ते में दर्ज की गई भूमि के बदले भूमि दिये जाने के प्रतिकर से बढकर अन्य कोई उचित प्रतिकर नही हो सकता है, एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार तारानगर के पत्रांक राजस्व/2025/1715 दिनांक 25.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष अनुसार प्रार्थी हेतु

रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार तारानगर को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 25.11.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट में आराजी हाल खसरा संख्या 1830/1214 मौजा साहवा में से होकर लाल रंग से अंकित 30 फुट चौडाई के रास्ते में आयी भूमि के बदले में ख.नं. 1934/1214 के लिये काटे गये रास्ते के रकबे को ख.नं. 1934/1214 में से अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 1830/1214 के चिपते हुए ही दर्ज रिकार्ड किया जावे एवं निर्माण, वृक्ष के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम–70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान पश्चात् उक्त नवीन रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावें। तहसीलदार द्वारा प्रेषित की गई दिनांक 25.11.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति नायब तहसीलदार, उपतहसील साहवा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

...ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर–चूरू